| | | |
|---|---|---|
| **15.05.2019** | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./19/686 दि.18.04.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/ अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 29.04.2019 से पूर्व इस न्यायालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जावे। उपखण्ड अधिकारी, चौमू से नोटिस का जवाब प्राप्त नही होने पर पुनः नोटिस क्रमांक 858 दिनांक 29.04.2019 जारी कर अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 15.05.2019 से पूर्व भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया इसके बावजूद भी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब पेश नही किया गया है।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.02.2019 को लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर को सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/प्रेषित किया गया था। दिनांक 03.04.2019 तक भी प्रार्थी/ अपीलान्ट को राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नही करवाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से आदिनांक तक भी अपील से संबंधित कोई सूचना इस कार्यालय को प्रापत नही हुई है। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी आवेदक को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध नही कराई गई, जबकि वांछित सूचनाऐं उनके कार्यालय से संबंधित थी। | पालना पत्रांक ९९९-१००२ 29/5/19 |

Scanned by CamScanner

# फर्द अहकाम

श्री भगवान सहाय सांखला      बनाम      राज्य लोक सूचना अधिकारी,<br>एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू,<br>जिला–जयपुर।

आर.टी.आई. अपील सं0 : 05/2019

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 15.05.2019 | अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करावें। इस हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर एवं प्रार्थी को पालना हेतु पत्र जारी हो।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।<br><br>(डॉ. अशोक कुमार)<br>**प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं**<br>**अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर** | |

Scanned by CamScanner